रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड ()
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 352] नई दिल्ली, बुधवार, जून 23, 1971/आषाढ़ 2, 1893
No. 352] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 23, 1971/ASADHA 2, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd June 1971

S.O. 2452.—Whereas for the development of the export trade of India, certain proposals for amending the notification of the Government of India in the late Ministry of Commerce No. S.O. 1022, dated the 26th March, 1966 regarding cashew kernals were published, as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964, at pages 1521—1522 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 18th September, 1970, under the notification of the Government of India in the Ministry of Foreign Trade No. S.O. 3122, dated the 18th September, 1970;

And whereas objections and suggestions were invited till the 18th October, 1970, from all persons likely to be affected thereby;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 18th September, 1970.

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said draft have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government, after consulting the Export Inspection Council, being of opinion that it is necessary and expedient so to do for the development of the export trade of India, hereby makes the following further amendment to the notification of the Government in the late Ministry of Commerce No. S.O. 1022, dated the 26th March, 1966, namely:—

In the Annexure to the said notification, in Table (F), under the column "General characteristics", after the existing entries, the following shall be added, namely:—

"They shall be free from rancid Kernels".

[No. 60(4)/67-Exp. Insp.]

K. S. BHATNAGAR, Jt. Secy.

विदेश व्यापार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जून, 1971

का० आ० 2452.—यत: भारत के निर्यात व्यापार के विकासार्थ भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 1022, तारीख 26 मार्च, 1966 को जो काजू की गिरी के सम्बन्ध में है, संशोधन करने के लिए कतिपय प्रस्तावों का निर्यात (गुण नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम के उपनियम (2) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के विदेश व्यापार मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3122, तारीख 18 सितम्बर, 1970 के साथ भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2 खण्ड 3 उपखण्ड (1) में तारीख 18 सितम्बर, 1970 के पृष्ठ 1521–22 पर प्रकाशित किया गया था ;

और यत: जिन व्यक्तियों का उनसे प्रभावित होना संभाव्य था, उन सभी से 18 अक्तूबर, 1970 तक आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और यत: 18 सितम्बर, 1970 को उक्त राजपत्र जनता को उपलब्ध करा दिया गया था ;

और यत: उक्त प्रारूप पर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जा चुका है :

अत: अब, निर्यात (गुण नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्यात निरीक्षण परिषद् से परामर्श करने के पश्चात अपनी यह राय होने पर कि भारत के निर्यात व्यापार के विकासार्थ ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 1022 तारीख 26 मार्च, 1966 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन और करती है, अर्थात् :–

उक्त अधिसूचना के उपाबन्ध में, सारणी (च) में, "साधारण लक्षण" स्तंभ के नीचे विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात जोड़ा जाएगा, अर्थात् :–

"वे विकृतगंध गिरी से मुक्त होंगे"

[सं० 60 (4)/67–नि० नि०]

के० एस० भटनागर, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971